1000

प्रपत्र–2

कार्यालयःजिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा,सीकर

कमाक –जिशिअ / प्राशि / सी / मान्यता / आरटीई / 2012 / 182 दिनांकः– 27/11/12

अध्यक्ष / प्रबंधक,

प्रबंध समिति,

पिंक पर्ल शिक्षण संस्थान रींगस

विषयः– नियम 8–क के उप –नियम (4)के अधीन विधालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन दिनाक ....—........और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार /निरीक्षण के संदर्भ में ,मै .....पिंक पर्ल स्कूल पब्लिक स्कूल रींगस..... (विधालय का नाम और पता) को ....से ....तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा.....1.... से........5.........तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता है।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो की पूर्ती के अध्यधीन होगीः–

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे मान्यता / सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नही होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011 के उपबन्धो का पालन करेगा।
3. विद्यालय ,कक्षा–1 मे या ,यथास्थिति ,पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र–संख्या की सीमा तक आस पडौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से संबधित बालको को प्रवेश देना और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 मे निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालयो को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी । ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी /विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्हीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता –पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रकिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धो का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चत करेगा किः–
   (A) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा,
   (B) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन का पात्र नहीं होगा,
   (C) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नही होगा,
   (D) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011केनियम 23के अधीन यथा–अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा,
   (E) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्योग्यता / विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियो को सम्मिलित किया जाये,
   (F) अध्यापक ,2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1)के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ सहित भर्ती किये जाये,परन्तु वर्तमान अध्यापक ,जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर

न्यूनतम अर्हताए नही रखते है,वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबधों के अनुसार ,5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे,

(G) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप धारा (1)के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यो का निर्वहन करते है, और

(H) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापो मे नही लगायेंगे।

7 विद्यालय,समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयक्रम के आधार पर पाठयविवरण का अनुसरण करेगे।

8 विद्यालय ,2009 के अधिनियम की धारा 19 मे यथा विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाए निम्नानुसार है

(1) विद्यालय परिसर का क्षेत्र 4560 F² (2)कुल निर्मित क्षेत्र 2580 F²

(3) खेल कूद के मैदान का क्षेत्र नही (4) कक्षा के कमरो की संख्या 5

(5) प्रधानाध्यापक एव कार्यालय एव भंडार कक्ष 1

(6) लडके और लडकियों के लिए पृथक पृथक शौचघर हॉं

(7) पीने के पानी की सुविधा हॉं (8) मिड डे मील पकाने के लिए रसोईघर नही

(9)अवरोध विज्ञता सामग्री/खेल कूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता नही

9 विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाए नही चलायी जायेगी।

10 विद्यालय भवन या अन्य संरचनाए या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग मे लिए जायेगे।

11 विद्यालय,सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम स 21) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1958 (1958 का अधिनियम स 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।

12 विद्यालय ,किसी व्यक्ति ,व्यक्तियो के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जाता है।

13 किसी चार्टर्ड एकाउटेट द्वारा लेखो की सपरीक्षा और उन्हे प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जावेगी।

14 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या SMPR-1921 है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।

15 विद्यालय ,ऐसी रिपोर्ट और सूचना देना जिनकी निदेशक ,प्रारंभि शिक्षा,/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार /स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशो का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तो को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण मे त्रुटियो का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा जारी किये जाये।

16 सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण ,यदि कोई हो ,सुनिश्चित करे।

17 अन्य शर्ते सलग्न परिशिष्ट के अनुसार है।

नोट → R.T.E के समस्त मानदण्ड 31मार्च, 2013 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होगें।

23/x/12

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारंभिक शिक्षा ,सीकर